



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244555  
CG-DL-E-22032023-244555

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1298]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2023/फाल्गुन 30, 1944

No. 1298]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/PHALGUNA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

का.आ. 1351(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गा) जिले में नया प्रस्तावित भारतमाला परियोजना का एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड राजमार्ग NH-150C महाराष्ट्र/कर्नाटक बॉर्डर (निम्बल ग्राम, आलंद तालुक, गुलबर्गा जिले) से कर्नाटक/तेलंगाना बॉर्डर (सिंगनोडि ग्राम, रायचूर तालुक, रायचूर जिले) तक के कि.मी. 21.000 से कि.मी. 23.450 और कि.मी. 26.000 से कि.मी. 97.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (6-लेन का), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस एल ए ओ), गुलबर्गा, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी (गुलबर्गा) जिले में नया प्रस्तावित भारतमाला परियोजना का एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड राजमार्ग NH-150C महाराष्ट्र/कर्नाटक बॉर्डर (निम्बल ग्राम, आलंद तालुक, गुलबर्गा जिले) से कर्नाटक/तेलंगाना बॉर्डर (सिंगनोडि ग्राम, रायचूर तालुक, रायचूर जिले) तक के कि.मी. 21.000 से कि.मी. 23.450 और कि.मी. 26.000 से कि.मी. 97.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: कलबुर्गी (गुलबर्गा)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जेवरगी					
गांव का नाम: औराद					
1	39/6	निजी	सूखा	1,517.5500000(वर्ग मीटर)	0.1517550
2	39/8	निजी	सूखा	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
गांव का नाम: गवार					
1	498/3	निजी	गीली भूमि	12,141.0000000(वर्ग मीटर)	1.2141000
कुल				13,759.7200	1.3760

[फा. सं. NHA/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3a/AK/3A]

अभय जैन, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2023

**S.O. 1351(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, maintenance, management and operation of Newly Proposed Six Laning of Access Controlled Greenfield Highway of NH-150C starting from MH/KN Border (Nimbal Village, Aland Taluk, Gulbarga District) to KN/TS Border (Singnodi Village, Raichur Taluk and District) as a part of Surat-Chennai Economic Corridor under Bharatmala Pariyojana in the stretch of land from Km. 21.000 to Km. 23.450 and Km. 26.000 to Km. 97.000 in the District of Gulbarga (Kalaburagi) in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Gulbarga, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 21.000 to Km. 23.450 and Km. 26.000 to Km. 97.000 of Newly Proposed Six Laning of Access Controlled Greenfield Highway of NH-150C starting from MH/KN Border (Nimbal Village, Aland Taluk, Gulbarga District) to KN/TS Border (Singnodi Village, Raichur Taluk and District) as a part of Surat - Chennai Economic Corridor under Bharatmala Pariyojana in the District of Gulbarga (Kalaburagi) in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: Kalaburagi (Gulbarga )			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Jevargi</b>					
<b>Village: Aurad</b>					
1	39/6	Private	Dry	1,517.5500000(Square Meter )	0.1517550
2	39/8	Private	Dry	101.1700000(Square Meter )	0.0101170
<b>Village: Gawar</b>					
1	498/3	Private	Wet	12,141.0000000(Square Meter )	1.2141000
<b>Total</b>				<b>13,759.7200</b>	<b>1.3760</b>

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3a/AK/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.